FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

नूरा खाँ बनाम मारन खाँ वगैरा

किस्म मुकदमा रा० काश्त० 111,128 RLRAct नं. 285/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रेवताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/19 को पेश हो।	
14/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कश्य तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/11/19 को पेश हो।	
26/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:47:32 IST
Reason: SelfAttested

14/01/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बाबूलाल तामील मजु उपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की हम प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगोलग आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में अतिक्रमियों की वजह से छिप गये है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेत में कब्जा करलेते है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करने के लिए पैमाइशबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पूर्वी पैमाइशबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली पेशल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

14/01/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:47:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 140

दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नुराखां पुत्र पनाखां वगैरा जाति मुसलमान निवासी सांईयों का तला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. आरब खां पुत्र केसर खां वगैरा निवासी सांईयों का तला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 285 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का लूनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1582, 1583, 1830 / 1586 रकबा क्रं.स. 0.10, 27.04, 05.18, बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

14.1.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 141–145

दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी लूनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नुराखां
4. विप्रार्थीगण श्री आरब खां वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:47:32 IST
Reason: SelfAttested